न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/2024 निर्णय दिनांकः– 04-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/46)

1. इन्द्रपाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. असमानी पत्नी स्व ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. धर्मपाल पुत्र स्व ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. राजूराम पुत्र स्व ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. श्रवणकुमार पुत्र स्व ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. बेबी पुत्री स्व ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06–12–2023
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितिः–
1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सतपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 06–12–2023 जिसके द्वारा अपीलांट के स्माल पेच आवंटन प्रार्थना पत्र के पेन्डिग रहते वादगत भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 44/24 का किला नम्बर 1, 3, 8 ता 10 तादादी 5 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को विधिविरूद्ध तरीके से किया गया है। अपीलांट के धारण में चक 7 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 44/24 के किला नम्बर 2 की भूमि स्थित है एवं अपीलांट ने उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन अराजी के स्माल पेच आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 17–02–2023 को प्रस्तुत कर दिया था जिस पर तहसील कार्यालय से रिपोर्ट भी करवा ली गई थी। अपीलांट के प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन अराजी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को बतौर स्माल पेच आवंटन कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के धारण में सयुंक्त खातेदारी की भूमि थी एवं सयुंक्त खातेदारों में से सिर्फ 1 खातेदार के द्वारा वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को आवंटन कर दिया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की भूमि उसी समान मुरब्बे में स्थित थी यदि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की प्राथमिकता समान होती तो अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना था लेकिन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया जो विधिसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अंकित किया गया है मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं पर भी अपीलांट को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की रशीद पेश नहीं है। उसके पश्चात अपीलांट के नोटिस की तामील रिपोर्ट में यह अंकित किया जाता है कि अपीलांट के आबाद घर के बाहर चस्पानगी की गई मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी नोटिस चस्पानगी के आदेश पारित नहीं किये गये है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि थी एवं जिसके आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र भी पेन्डिग था, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्माल पेच आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 7 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 44/24 तादादी 5 बीघा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियमों के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्माल पेच आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, उक्त आवंटन से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। उक्त नोटिस पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आराजी जैर राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन की गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए तमाम अधिकार प्राप्त हो चुके है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरडी 2014 पेज 249, आरबीजे 2012 पेज 261 व आरआरडी 1993 पेज 525 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काबिज होना अभिकथित किया गया है परन्तु पत्रावली पर अपीलांट ने अपने कब्जे बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज यथा धारा 22 एवं धारा 91 का नोटिस पेश नही किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि वादगत भूमि पर अपीलांट काबिज है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट के वादगत भूमि बाबत आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट का कोई आवेदन आवंटन अधिकारी के समक्ष लम्बित नहीं था। अपीलांट द्वारा भी आवेदन पत्र की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि वरवक्त आवंटन अपीलांट का प्रार्थना पत्र लम्बित था। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए वादग्रस्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो बार व्यक्तिशः नोटिस जारी किये जाकर अपीलांट के आबाद मकान पर गवाहान की उपस्थिति में चस्पानगी करवाई गई तथा उसके पश्चात भी अपीलांट के उपस्थित ना आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करवाई गयी। सार्वजनिक सूचना दिनांक 06–10–2023 को जारी की गई जिसकी पालना रिपोर्ट 25–10–2023 द्वारा तहसील, ग्राम पंचायत भवन तथा आवंटित भूमि के चक 7 बीएचएम पर चस्पानगी करवाई गई। इन तमाम कार्यवाही के पश्चात अपीलांट की सम्यक तामील माना जाना प्रतीत होता है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की पात्रता की जॉच करने के उपरान्त व संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज, विवाद रहित, प्रायोजनार्थ आरक्षित नही होने, प्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं होने की रिपोर्ट पश्चात वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को आंवटित की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–12–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक०५-१२-२०२५ को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर